

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक – 17.10.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 20 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 13 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 347 वाहनों से 4,16,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 17.10.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 347 वाहनों से 4,16,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

शारदीय नवरात्रि व दशहरा त्योहार को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जनता से अपील तथा पुलिस प्रबन्ध के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा दी गयी बाईट ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के मामले में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं ₹19,000 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित व शेष अभियुक्तगण 03 वर्ष 06 माह एवं कुल 72000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 20.01.2026 को माननीय न्यायालय ए0डी0जे0 प्रथम संतकबीरनगर द्वारा हत्या के 01 आरोपी को आजीवन कारावास अवधि व 20 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व शेष अभियुक्तगण को 02 वर्ष 06 माह - 02 वर्ष 06 माह कुल 72 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 29.03.2013 को वादी मुन्ना लाल पुत्र रामबहाल निवासी टिकुई कोल चौबे थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 28 .03.2013 को शाम करीब 7:00 बजे उनके भतीजे वीर के मोबाइल फोन पर किसी व्यक्ति का फोन आया जिसके उपरान्त व घर से कहीं चला गया था। दिनांक 29.03.2013 को वादी अपने भतीजे के गायब होने की सूचना थाने पर देने आ रहे थे कि गांव के उत्तर पूर्व तरफ बेचू चौबे के गेहूं के खेत में उनके भतीजे का शव पड़े होने की जानकारी प्राप्त हुई। घटना स्थल पर उनके भतीजे को अज्ञात व्यक्ति द्वारा निर्मम तरीके से ईंट एवं नुकीले चीज से मारकर उसकी हत्या कर दी गई एवं पहचान छुपाने के लिए हत्यारों द्वारा शव के ऊपर तेजाब भी डाला गया था। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना महुली पर मु0अ0सं0 150/2013 धारा 147/148/149/302/34/201/120बी/ भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री विजय कुमार पाण्डेय के द्वारा सम्पादित की गयी थी। सजा विवरण:-

मु0अ0सं0 382/2017 धारा 147/148/149/323/336/325/302/ भा0द0वि0 थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त 01.फूलचन्द्र पुत्र पल्लू (मृतक) 02. रामप्रकाश पुत्र पल्लू 03. शकुन्तला देवी पत्नी रामप्रकाश 04. सुदामा देवी पत्नी फूलचन्द्र 05. अजून पुत्र स्व0 बालकिशुन 06.भीम पुत्र स्व0 बालकिशुन 07. संजय पुत्र फूलचन्द्र 08. छोटे लाल पुत्र पल्लू 09. जितना देवी पत्नी छोटे लाल 10. बिन्देश्वरी पुत्र फूलचन्द्र निवासीगण तेनुआराय थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को अभि0 छोटे लाल को धारा147/148/149/323/336/325/302/ भा0द0वि0 को दोषसिद्ध किया जाता है। तथा शेष अभियुक्तगण को147/148/149/323/336/325 भा0द0वि0 को दोषसिद्ध किया जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्त छोटे लाल को धारा 302 भा0द0वि0 के तहत आजीवन कारावास व 10,000 रुपये रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 147 भा0द0वि0 के तहत 01 वर्ष कठोर कारावास व 1000 रुपये रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 148 भा0द0वि0 के तहत 02 वर्ष कठोर कारावास व 2000 रुपये रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 323 भा0द0वि0 के तहत 01 वर्ष कठोर कारावास व 1000 रुपये रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 325 भा0द0वि0 के तहत 03 वर्ष 06 माह कठोर कारावास व 5000 रुपये रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

शेष प्रत्येक अभि0गण 01. रामप्रकाश पुत्र पल्लू 02. शकुन्तला देवी पत्नी रामप्रकाश 03. सुदामा देवी पत्नी फूलचन्द्र 04. अजून पुत्र स्व0 बालकिशुन 05.भीम पुत्र स्व0 बालकिशुन 06. संजय पुत्र फूलचन्द्र 07. जितना देवी पत्नी छोटे लाल 08. बिन्देश्वरी पुत्र फूलचन्द्र प्रत्येक को धारा 147 भा0द0वि0 के तहत 01-01 वर्ष कठोर कारावास व 1000-1000 रुपये रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05-05 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 148 भा0द0वि0 के तहत 02-02 वर्ष कठोर कारावास व 2000-2000 रुपये रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 323 भा0द0वि0 के तहत 01-01 वर्ष कठोर कारावास व 1000-1000 रुपये रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05-05 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 325 भा0द0वि0 के तहत 03 वर्ष 06 माह - 03 वर्ष 06 माह कठोर कारावास व 5000-5000 रुपये रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनांक 17.10.2026

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के मामले में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं ₹19,000 के अर्थदण्ड तथा 08 अन्य अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में कुल ₹72,000 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में माननीय न्यायालय एडीजे प्रथम, जनपद संतकबीरनगर द्वारा हत्या के एक मामले में अभियुक्त छोटेलाल को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से तथा अन्य 08 अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-दिनांक 25.03.2017 को समय लगभग 20:00 बजे थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर के ग्राम तेनुआराय में जमीन के विवाद को लेकर अभियुक्तगण छोटेलाल, राम प्रकाश, फूलचन्द पुत्रगण पल्टू, जितना देवी पत्नी छोटेलाल, शकुन्तला देवी पत्नी राम प्रकाश, सुदामा देवी पत्नी फूलचन्द, अर्जुन, भीम पुत्रगण स्व० बाल किशुन, संजय पुत्र फूलचन्द, बिन्देश्वरी पुत्र दुर्खी आदि द्वारा एकराय होकर लाठी-डंडा, फावड़ा, कुल्हाड़ी एवं ईंट-पत्थर से वादी रमेश चन्द्र तथा बीच-बचाव करने पहुंचे उसके भाई दिनेश एवं माता फेकना देवी पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया तथा वादी के पिता संतराज पुत्र भुलई, उम्र लगभग 62 वर्ष, की हत्या कर दी गई। उक्त घटना के संबंध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

सजा का विवरण

थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 382/2017, धारा 147/148/149/323/336/325/302 भा0द0वि0 से संबंधित मामले में माननीय न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया।

1. अभियुक्त छोटेलाल पुत्र पल्टू निवासी तेनुआराय, थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर

- धारा 302 भा0द0वि0 के तहत आजीवन कारावास एवं ₹10,000 अर्थदण्ड।
- धारा 147 भा0द0वि0 के तहत 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1,000 अर्थदण्ड।
- धारा 148 भा0द0वि0 के तहत 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹2,000 अर्थदण्ड।
- धारा 323 भा0द0वि0 के तहत 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1,000 अर्थदण्ड।
- धारा 325 भा0द0वि0 के तहत 03 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास एवं ₹5,000 अर्थदण्ड।

2. शेष 08 अभियुक्तगण

1. रामप्रकाश पुत्र पल्टू
2. शकुन्तला देवी पत्नी रामप्रकाश
3. सुदामा देवी पत्नी फूलचन्द्र
4. अर्जुन पुत्र स्वर्गीय बालकिशुन
5. भीम पुत्र स्वर्गीय बालकिशुन
6. संजय पुत्र फूलचन्द्र
7. जितना देवी पत्नी छोटेलाल
8. बिन्देश्वरी पुत्र फूलचन्द्र

समस्त निवासीगण तेनुआराय, थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर को निम्नलिखित धाराओं में दण्डित किया गया:

- धारा 147 भा0द0वि0 के तहत प्रत्येक को 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1,000 अर्थदण्ड।
- धारा 148 भा0द0वि0 के तहत प्रत्येक को 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹2,000 अर्थदण्ड।
- धारा 323 भा0द0वि0 के तहत प्रत्येक को 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1,000 अर्थदण्ड।
- धारा 325 भा0द0वि0 के तहत प्रत्येक को 03 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास एवं ₹5,000 अर्थदण्ड।